कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	10
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1001
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुमन यादव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अशोक यादव
आवेदक का पता	:–	राजीव नगर बलराम टाकिज के पास बिलासपुर छ0ग0 495001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	13
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1002
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राजेश कुमार चौहान
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री महेन्द्र चौहान
आवेदक का पता	:–	ग्राम–कोटमार, पोस्ट कोतरलिया, जिला व तहसील रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	32
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1003
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राजेश कुमार चौहान
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री महेन्द्र चौहान
आवेदक का पता	:–	ग्राम कोटमार पो. कोतरलिया, जिला व तहसील रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	33
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1004
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सरिता यादव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री संतराम यादव
आवेदक का पता	:–	जय हिन्द चौक, राजा किराना स्टोर्स के पास, कांपा लोधीपारा, रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	38
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1005
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रवीण कुमार दीवान
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री राधेश्याम दीवान
आवेदक का पता	:–	बी–8 सुन्दर विहार टीचर्स कालोनी भवानी नगर कोटा, रायपुर 492010
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	41
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1006
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अजय कुमार कंवर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कंवल सिंह
आवेदक का पता	:–	ग्राम भठोरा, पोस्ट–भिलाई बाजार, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा, छ0ग0 495454
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	47
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1007
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	खुशबू देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सुन्दरलाल देवांगन
आवेदक का पता	:–	छोटे अतरमुड़ा, तलाब के पास, रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	58
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1008
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	तोरण कुमार कंवर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अर्जुन सिंह कंवर
आवेदक का पता	:–	आ. श्री अर्जुन सिंह कंवर, जीवनधाम गली, सेक्टर–02, मदर प्राईड स्कूल के पीछे, प्रोफेसर कालोनी, रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	59
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1009
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रमोद कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री राधेश्याम
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट चकरभठा थाना व जिला मुंगेली, छ0ग0 495334
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	61
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1010
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	जानी राम तारम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कत्था राम तारम
आवेदक का पता	:–	फौवहारा चौक शिक्षक कालोनी, म.क्र. 03, जिला राजनांदगांव छ0ग0 491666
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	65
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1011
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राजेश कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री घनश्याम प्रसाद साहू
आवेदक का पता	:–	शिव नगर रूमगरा पोस्ट बालको, तहसील व जिला कोरबा, छ0ग0 495684
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	66
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1012
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रशांत तिवारी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री घनश्याम सुन्दर
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट निपनिया, थाना भाटापारा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ0ग0 493118
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	68
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1013
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	तेजन कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री राजकुमार
आवेदक का पता	:–	बजरंग चौक, पटेलपारा स्टे. मरोदा, (भिलाई) जिला दुर्ग, छ0ग0 491107
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	69
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1014
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	युवराज
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अशोक कुमार
आवेदक का पता	:–	युवराज, ग्राम व पोस्ट–बघमरा, तहसील व जिला बालोद छ0ग0 491226
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	72
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1015
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुनील कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बैरसन सिंह
आवेदक का पता	:–	वार्ड कं. 56 (भाटापारा) बघेरा दुर्ग छ0ग0 491001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	73
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1016
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नितिन कुमार कुंभकार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बिलास कुमार कुंभकार
आवेदक का पता	:–	मारूति वार्ड नं. 15 चण्डी मंदिर के पास कुम्हार पारा कवर्धा जिला कबीरधाम छ0ग0 491995
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	74
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1017
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नितेश कुमार कुम्भकार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बिलास कुमार कुंभकार
आवेदक का पता	:–	मारूति वार्ड नं. 15 चण्डी मंदिर के पास कुम्हार पारा कवर्धा जिला कबीरधाम छ0ग0 491995
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	76
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1018
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रेमलता साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री मनराखन लाल साहू
आवेदक का पता	:–	ग्राम–सेमरिया पोस्ट नरदहा, थाना विधानसभा, जिला रायपुर 493111
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	78
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1019
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुरेश कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री कन्हैया लाल
आवेदक का पता	:–	मु.पो. खोखरा, जिला जांजगीर–चांपा छ0ग0 495668
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	82
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1020
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	आशिष कुमार ठेठवार
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री शरद ठेठवार
आवेदक का पता	:–	कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी साक्षर भारत मिशन जिला पंचायत रायगढ़, राजापारा, ठेठवार गली, सारंगढ़ जिला रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	86
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1021
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	युवराज
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अशोक कुमार
आवेदक का पता	:–	युवराज, ग्राम व पोस्ट बघमरा, तहसील व जिला बालोद छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	88
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1022
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 सोनम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मदन लाल साहू
आवेदक का पता	:–	श्री मदन लाल साहू, हाई कोर्ट आवासीय परिसर, क्वार्टर नं. आई2/12, रहंगी रोड, चकरभाठा, बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	89
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1023
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	लव कुमार जोशी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री चन्द्रशेखर जोशी
आवेदक का पता	:–	ग्राम सुकुरपाल, तहसील व जिला कोण्डागांव, पोस्ट जोबा, 494226
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	90
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1024
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	धीरज कुमार देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री मनीराम
आवेदक का पता	:–	वार्ड कं. 04 जवाहिर भवन के सामने, रायपुर रोड, सारंगढ़, जिला रायगढ़
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	92
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1025
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रेमलाल दुबे
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री नेमेश्वर प्रसाद दुबे
आवेदक का पता	:–	श्री राम जानकी मंदिर, कसारीडीह, दुर्ग छ0ग0 491001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	96
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1026
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सरोज कुमार साव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री चैन सिंह साव
आवेदक का पता	:–	ग्राम बासनपाली, पोस्ट जरेकेला, तहसील तमनार, जिला रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	110
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1027
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	संजना मिंज
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री निर्मल मिंज
आवेदक का पता	:–	सुधीर टायपिंग व फोटो कापी सेन्टर खचांचीटोली, जशपुर नगर, जिला जशपुर 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	111
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1028
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	दीपशिखा साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री आर.आर. साहू
आवेदक का पता	:–	क्वार्टर नं. 290/एफ. रिसाली सेक्टर, भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0 490006
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	117
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1029
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	रवि कान्त यादव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बंधन राम यादव
आवेदक का पता	:–	पुराना पानी टंकी के पास, यादव कालोनी, टंकी टोली जशपुर नगर जिला जशपुर छ0ग0 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	119
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1030
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	ममता शर्मा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रविन्द्र शर्मा
आवेदक का पता	:–	मकान नं. 7/422, सत्पगिरि कालोनी, साहू आटा चक्की के पास श्रीनगर रायपुर छ0ग0 492008
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	120
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1031
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नरेन्द्र साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री राम कुमार साहू
आवेदक का पता	:–	राम सागर पारा, आमा तालाब रोड गौरव पथ आभा ड्रेसेस के सामने, निधि जनरल स्टोर धमतरी छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	121
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1032
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	घनश्याम प्रसाद देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री पवन कुमार देवांगन
आवेदक का पता	:–	ग्राम मलौद, पोस्ट आफिस सिलयारी थाना धरसीवां, जिला रायपुर छ0ग0 493116
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	122
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1033
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	धनंजय कुमार पटेल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामलखन पटेल
आवेदक का पता	:–	ग्राम–घुठिया, पो.आ. महंत, तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495668
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	124
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1034
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 राधिका बंसोड
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मेघनाथ बंसोड़
आवेदक का पता	:–	कंकाली पारा, कंकाली मंदिर के पास, धोबी गली रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	127
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1035
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	संगीता पैंकरा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री दशरथ साय
आवेदक का पता	:–	ग्राम गोपालपुर पोस्ट बोईरदादर जिला रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	129
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1036
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	देवेन्द्र साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामार्जुन साहू
आवेदक का पता	:–	नगर पंचायत सरगांव, पो. सरगांव, तहसील पथरिया, जिला मुंगेली छ0ग0 495224
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	130
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1037
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 रेणुका देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री आजूराम देवांगन
आवेदक का पता	:–	वार्ड नं. 28, मकान नं. 209, पचरी पारा दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	133
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1038
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मीनाक्षी साहू
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री अभिषेक साहू
आवेदक का पता	:–	प्रकाश कुंज, प्लॉट नं. एफ/3 स्ट्रीट नं. 25, आशीष नगर, रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	135
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1039
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	बबीता उरांव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री नानदाउ उरांव
आवेदक का पता	:–	टीवी टॉवर रोड पं. दिनदयाल कालोनी के पास रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	139
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1040
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कमलेश कुमार पटेल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री तिहारू राम पटेल
आवेदक का पता	:–	लक्ष्मी नगर, मोवा, माता कुंन्ती स्कूल के पास, रायपुर छ0ग0 पो.आ. सड्डू 492014
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	140
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1041
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	योगेश कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रघुराज सिंह
आवेदक का पता	:–	रघु फोटो कापी, तहसील के सामने जगदल्ला चांपा, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495671
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	145
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1042
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मो. लुकमान हकीम खान
पिता/पति का नाम	:–	आ. मो. कय्युम खान
आवेदक का पता	:–	ग्राम चरखुरा कला, पोस्ट पाण्डातराई, तहसील पण्डरिया, जिला कबीरधाम छ0ग0 491559
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	147
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1043
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राजकमल राजपूत
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री श्रीराम राजपूत
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पो.आ. पुटपुरा, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा छ0ग0 491340
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	151
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1044
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	उमेश कुमार जायसवाल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मुरारी राम जायसवाल
आवेदक का पता	:–	सिन्हा इलेक्ट्रानिक्स, स्वप्न पेट्रोल पंप के सामने लोहारा रोड कवर्धा, जिला कबीरधाम छ0ग0 491995
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	152
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1045
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	रमा तिवारी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कांति कुमार तिवारी
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट बछौद, थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495559
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	154
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1046
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	रूचि साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री नंदकुमार साहू
आवेदक का पता	:–	रूचि साहू, डी/ओ. श्री नंदकुमार साहू, ग्राम व पो. बिरकोना, (मिसिरपारा) तहसील व जिला बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	156
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1047
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु. यामिनी साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कलेश्वर प्रसाद साहू
आवेदक का पता	:–	वृंदावन विद्यालय गली वार्ड नं. 10 इमली भाठा महासमुंद छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	159
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1048
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सविता भंडारी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सुपाल सिंह भंडारी
आवेदक का पता	:–	ई.डब्ल्यू.एस.–110 के सामने पदमनाभपुर दुर्ग, छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	160
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1049
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अमर दास जांगड़े
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री विमल चंद जांगड़े
आवेदक का पता	:–	ग्राम सांकरा, पो.आ. हसदा, थाना बेरला, जिला बेमेतरा, छ0ग0 490036
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	161
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1050
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मनोज कुमार बुनकर
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री मगधेश्वर राम बुनकर
आवेदक का पता	:–	नगर पंचायत कुसमी, वार्ड क्रं. 11 (स्कूलपारा) जिला बलरामपुर छ0ग0 497224
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	167
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1051
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	विनय कुमार देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री जे.आर. देवांगन
आवेदक का पता	:–	कोतरा रोड दशरथ पान भंडार, वाली गली, रायगढ़ छ0ग0 वार्ड नं. 39, पिन–496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	170
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1052
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 संजना मिंज
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री निर्मल मिंज
आवेदक का पता	:–	सुधीर टायपिंग व फोटोकापी सेंटर खजांचीटोली, जशपुर नगर, जिला जशपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	171
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1053
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नागेश कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री दुगेद्र कुमार
आवेदक का पता	:–	ग्राम चिंगरी, पोस्ट अण्डा, जिला दुर्ग छ0ग0 491221
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	175
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1054
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मुकेश सोनी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री लक्ष्मीनारायण सोनी
आवेदक का पता	:–	शीतला चौक वार्ड नं. 22 कवर्धा, जिला कबीरधाम छ0ग0 491995
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	176
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1055
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गोविन्द प्रसाद देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री घनश्याम प्रसाद देवांगन
आवेदक का पता	:–	एन.के. सिन्हा, एच. नं. 33 कालेज रोड (पटवारी कालोनी) जशपुर छ0ग0 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	177
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1056
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 श्रीष्मा ओहदार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री वासुदेव राम ओहदार
आवेदक का पता	:–	विद्युत उपकेन्द्र के पास, रायगढ़ रोड जशपुर नगर, जिला जशपुर छ0ग0 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	179
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1057
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	बद्री प्रसाद रजक
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री नजर लाल रजक
आवेदक का पता	:–	तोरवा प्रायमरी स्कूल के पास, वार्ड क्रं. 40, तोरवा बस्ती, बिलासपुर छ0ग0 495004
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	181
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1058
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सावित्री ठाकुर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अमर सिंह ठाकुर
आवेदक का पता	:–	ग्राम पचेड़ा, पोस्ट घोटिया, तहसील डौण्डी, जिला बालोद छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	185
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1059
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शांति भगत
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रघुनाथ भगत
आवेदक का पता	:–	शांति भगत ब्व जितराम भगत, आरा नायडु कालोनी, भागलपुर जशपुर नगर, जिला जशपुर छ0ग0 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	186
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1060
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 श्रीष्मा ओहदार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री वासुदेव राम ओहदार
आवेदक का पता	:–	विद्युत उपकेन्द्र के पास, रायगढ़ रोड जशपुर नगर, जिला जशपुर छ0ग0 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	187
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1061
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	संजीव कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सुरेश कुमार
आवेदक का पता	:–	मकान नं. 59, कलार पारा, मोहारा वार्ड नं. 47 राजनांदगांव छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	188
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1062
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मिथलेश कुमार सोनवानी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मणीराम सोनवानी
आवेदक का पता	:–	पुलिस लाईन खोखरा भाटा, क्वार्टर नं. 06, शिव मंदिर के पीछे, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495668
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	189
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1063
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राज सिंह राजपूत
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री धीर सिंह
आवेदक का पता	:–	शारदा मंगलम के पीछे, वार्ड नं. 19, जांजगीर चांपा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	193
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1064
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नीता तिर्की
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री नोबेल मिंज
आवेदक का पता	:–	नीता तिर्की ध्व विरेन्द्र तिर्की वायरलेस पुलिस लाईन जशपुर नगर छ0ग0 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	194
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1065
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	संजय देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री चन्द्रबली देवांगन
आवेदक का पता	:–	ब्व अमरीका देवांगन, देवांगन किराना स्टोर, महादेव नगर, न्यू चंगोराभाठा, रायपुर छ0ग0 492013
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	196
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1066
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	उमेश कुमार डड़सेना
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बसन्त कुमार डड़सेना
आवेदक का पता	:–	ब्व राकेश कुमार यादव, (अधिवक्ता) गली नं. 01, सागर टेन्ट हाउस के पास, कसारीडीह, दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	197
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1067
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	विजेन्द्र सिंह ठाकुर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
आवेदक का पता	:–	मु./पोस्ट–ग्राम सिवनी (चांपा रानी पारा, वार्ड क्रं. 4 जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495671
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	199
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1068
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मनीषा देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रूपसाय देवांगन
आवेदक का पता	:–	चक्रधर नगर, बंगला पारा नियर देवलास रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	202
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1069
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शांति भगत
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री रघुनाथ भगत
आवेदक का पता	:–	शांति भगत ब्व जितराम भगत, आरा नायडु कालोनी, भागलपुर जशपुर नगर, जिला जशपुर छ0ग0 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	203
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1070
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रीति ओहदार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बासुदेव ओहदार
आवेदक का पता	:–	विद्युत उपकेन्द्र के पास, गम्हरिया रोड, रायगढ़ रोड जिला जशपुर छ0ग0 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	204
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1071
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सीता राम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री जीतराम भगत
आवेदक का पता	:–	ग्राम बालाछापर पोस्ट इचकेला, तहसील जशपुर जिला जशपुर छ0ग0 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	205
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1072
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अनिल कुमार सिंह
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कमल नाथ सिंह
आवेदक का पता	:–	फुन्दुरडिहारी लकड़ापारा अंबिकापुर छ0ग0 जिला सरगुजा 497001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	207
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1073
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शारदा पटेल
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री मिनकेतन पटेल
आवेदक का पता	:–	वार्ड नं. 08 दर्राडिपा बड़े रामपुर रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	215
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1074
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमति राजेश्वरी सोनकर
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री संजय कुमार सोनकर
आवेदक का पता	:–	ज्योति इंजीनियरिंग वर्कशॉप एण्ड्रूज वार्ड, दाउपारा मुंगेली जिला मुंगेली छ0ग0 495334
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	216
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1075
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	उत्तम कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री गोविन्द साहू
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट खैरबना कला, ब्लॉक बोडला, जिला कबीरधाम छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	221
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1076
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	ओमप्रकाश देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री हुकुमचंद देवांगन
आवेदक का पता	:–	ग्राम अचानकपुर भाटापारा, पोस्ट भेड़ीकला, जिला राजनांदगांव छ0ग0 491441
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	222
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1077
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	जनक राम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री ओमन राम
आवेदक का पता	:–	शीतला पारा कौरिनभाठा, वार्ड नं. 45, राजनांदगांव छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	223
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1078
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कमल नारायण देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. सव0 श्री राजेन्द्र कुमार देवांगन
आवेदक का पता	:–	सरोजनी नायडू पथ, गोड़ पारा, वार्ड कं. 6 दुर्ग छ0ग0 491001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	225
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1079
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	संतोष देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री होरी लाल देवांगन
आवेदक का पता	:–	राजश्री मार्डन स्कूल के सामने, कान्हा टायर के बगल नया पारा रायगढ़ रोड वार्ड क्रं. 04 सारंगढ़ जिला रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	227
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1080
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 सुचित्रा मिश्रा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रोशन लाल मिश्रा
आवेदक का पता	:–	अवधपुरी कॉलोनी राम जानकी मंदिर के पीछे भाटागांव, रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ0ग0 492001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	228
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1081
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	चन्द्रहास गावड़े
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री ईश्वर लाल गावड़े
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट घोटिया, तहसील डौण्डी, जिला बालोद छ0ग0 491228
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	230
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1082
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	चंदन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री केशव दीवान
आवेदक का पता	:–	म.नं. 678, वार्ड 26, विधानसभा रोड, बजरंग पारा सड्डू रायपुर छ0ग0 492014
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	233
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1083
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	जगन्नाथ प्रसाद
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 भागलाल धुरी
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट देवरीखुर्द ब्व पो.आ. जिला व तहसील बिलासपुर छ0ग0 495004
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	234
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1084
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 ज्योति निर्मलकर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री वेदराम निर्मलकर
आवेदक का पता	:–	हाउस 36 नूतन कालोनी सरकण्डा, बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	235
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1085
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	जखारियस खाखा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री ब्लासियुस खाखा
आवेदक का पता	:–	ग्राम किलिंग पोस्ट पैकू, तहसील व जिला जशपुर छ.ग. 496338
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	236
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1086
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गोविन्दा प्रसाद साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री प्रवीण कुमार साहू
आवेदक का पता	:–	बजरंग चौक मंदिर हसौद, पोस्ट मंदिर हसौद, जिला रायपुर छ0ग0 492101
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	245
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1087
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शांति भगत
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रघुनाथ भगत
आवेदक का पता	:–	शांति भगत ब्व जितराम भगत, आरा नायडु कालोनी, भागलपुर जशपुर नगर, जिला जशपुर छ0ग0 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	246
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1088
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमति संधु राज
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री भागवत सिंह राज
आवेदक का पता	:–	मु. कर्रापाली, पोस्ट अड़भार, तहसील मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495695
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	249
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1089
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सिद्धार्थ तिवारी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सनत तिवारी
आवेदक का पता	:–	मु. पो. सेमरा, तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495668
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	257
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1090
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गज्जु सिंह पोर्ते
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री राम कुमार पोर्ते
आवेदक का पता	:–	ग्राम मेन्ड्रापारा, रतनपुर, थाना एवं पो.आ. रतनपुर, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर छ0ग0 495442
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	260
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1091
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	संदीप कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री पन्नालाल साहू
आवेदक का पता	:–	रूखमणी निवास, कलेक्ट्रेट रोड बीएसएनएल टॉवर के पास, शारदा नगर, रूद्री, ग्रा. + पो. रूद्री, तहसील व जिला धमतरी छ0ग0 493773
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	261
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1092
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राजू राम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री देवा राम
आवेदक का पता	:–	ग्राम अमलीभाठा, पोस्ट, हसदा नं. 1 तहसील मगरलोड, जिला धमतरी छ0ग0 492109
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	262
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1093
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नंद कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री समेलाल
आवेदक का पता	:–	ग्राम मुड़खुसरा, (वार्ड 8 शीतला पारा) पोस्ट भीमकन्हार, तहसील डौण्डी लोहारा जिला बालोद छ0ग0 491771
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	265
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1094
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गोपी चंद साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री हेमलाल साहू
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट पिपरौह, व्हाया अभनपुर जिला रायपुर छ0ग0 493661
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	269
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1095
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमति दिप्ती देशमुख
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री नोहर सिंह देशमुख
आवेदक का पता	:–	श्रीमति दिप्ती देशमुख क्ध्व श्री मुकुंद देशमुख, शहीद वीर नारायण सिंह नगर, आशीष होटल के पीछे जी.ई. रोड वार्ड नं. 38 पावर हाउस भिलाई जिला दुर्ग 490011
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	272
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1096
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नरसिंह पोर्ते
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री देवलाल सिंह पोर्ते
आवेदक का पता	:–	ग्राम मेंडरापारा (रतनपुर) थाना व पोस्ट रतनपुर तहसील कोटा, जिला बिलासपुर छ0ग0 495442
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	273
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1097
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	खगेश्वर देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री दिनेश कुमार देवांगन
आवेदक का पता	:–	मुक्तिधाम के पीछे, राधा कृष्ण मंदिर के पास, शन्यासी पारा खमतराई, रायपुर छ0ग0 पोस्ट डब्ल्यू आर एस कालोनी पिन–492008
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	274
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1098
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुशीला देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बाबूलाल देवांगन
आवेदक का पता	:–	शंकर नगर इंदिरा चौक, रामकिशन किराना स्टोर्स दुर्ग छ0ग0 491001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	282
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1099
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राधाकांत मेहर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कल्पतरू मेहर
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट गढ़उमरिया, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	284
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1100
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	देवेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री भूषण
आवेदक का पता	:–	कन्हारपुरी वार्ड नं. 33, संगम चौक, जिला राजनांदगांव छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	286
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1101
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	पारखत सिंह राजपूत
पिता/पति का नाम	:–	मनहरण सिंह राजपूत
आवेदक का पता	:–	चन्द्रशेखर स्कूल के पीछे टावर गली पंचशील नगर पाईप फैक्ट्री के बाजू दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	288
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1102
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	धनेश्वर कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री नारद राम साहू
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट सिलौटी, थाना भरवारा, जिला धमतरी छ0ग0 493773
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	289
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1103
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गिरजा शंकर पटेल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामनारायण पटेल
आवेदक का पता	:–	ग्राम बलौदा, पोस्ट हसुवा, व्हाया, कटगी, तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ0ग0 493344
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	291
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1104
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	चितरंजन कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामलाल
आवेदक का पता	:–	वार्ड क्रं. 04, ग्राम जमनीपाली, पोस्ट सोहागपुर, व्हाया चांपा जिला कोरबा छ0ग0 495671
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	294
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1105
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	रमेश कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री राधेश्याम पैंकरा
आवेदक का पता	:–	ग्राम बकला, पो.आ. बोरसी, तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ0ग0 493335
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	297
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1106
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मारखण्डे कौशिक
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री हीरालाल कौशिक
आवेदक का पता	:–	ग्राम अमोरा, पोस्ट सम्बलपुर थाना नांदघाट, जिला बेमेतरा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	298
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1107
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नूतन साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री टीकाराम साहू
आवेदक का पता	:–	गया नगर, मुक्तिधाम के पास दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	299
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1108
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	दुर्गेश कुमार गवर्ना
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री ज्ञानिक लाल गवर्ना
आवेदक का पता	:–	ग्रा + पो.+ तहसील मोहला, मरारपारा वार्ड नं. 03, जिला राजनांदगांव छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	300
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1109
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	पोतराम कैवर्त्य
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री उदेराम कैवर्त्य
आवेदक का पता	:–	ग्राम घोघरी, पो.आ. दुरूग, तहसील बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार छ0ग0 493222
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	304
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1110
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गायत्री सेन
पिता/पति का नाम	:–	पिता श्री मोतीलाल सेन
आवेदक का पता	:–	पीजी उमांठे कन्या हाई स्कूल के सामने विनोबा भावे नगर, शांति नगर रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	309
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1111
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	रिया श्रीवास्तव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री आलोक श्रीवास्तव
आवेदक का पता	:–	पुरानी बस्ती कायस्थ पारा रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	311
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1112
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रदीप कुमार सोनी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कृष्ण कुमार सोनी
आवेदक का पता	:–	पो. नया सरकंडा, बंगाली पारा, भूपेन्द्र किराना स्टोर के पास जिला बिलासपुर छ0ग0 495001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	312
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1113
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सोनू कुमार यादव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सुखीराम यादव
आवेदक का पता	:–	बंधवापारा सरकण्डा, इंदिरा विहार के पीछे चन्द्रमौली शिव मंदिर के पास बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	315
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1114
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अजय कुमार चन्द्राकर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री प्रेमलाल चन्द्राकर
आवेदक का पता	:–	ओम चन्द्राकर मकान नं. 11/4, हुड़को पुलिस लाईन बैरन बाजार रायपुर छ0ग0 492001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	316
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1115
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अजय कुमार कंवर
पिता/पति का नाम	:–	श्री कंवल सिंह
आवेदक का पता	:–	ग्राम भठोरा (सराईपाली) पोस्ट भिलाई बाजार, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा छ0ग0 495454
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	317
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1116
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	बाबू प्रेम प्रकाश कंसारी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री शान्तनु कंसारी
आवेदक का पता	:–	2दक बटालियन ए–61 पो. सकरी बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	318
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1117
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	चन्द्रपाल सिंह कंवर
पिता/पति का नाम	:–	इतवार सिंह कंवर
आवेदक का पता	:–	चन्द्रपाल सिंह कंवर ध्व इतवार सिंह कंवर, ग्राम विजय नगर (खुशरूडीह) थाना दीपका, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा छ0ग0 495452
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	319
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1118
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	पौलुस केरकेट्टा
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री सामुएल केरकेट्टा
आवेदक का पता	:–	डिंगापुर–2, पोस्ट आई.टी.आई. रामपुर, जिला कोरबा छ0ग0 495677
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	320
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1119
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मनोहर लाल सोरठे
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री ठाकुर राम सोरठे
आवेदक का पता	:–	ग्राम कोड़गार, पो0 पिपरिया, थाना पसान, तहसील पोकी उपरोड़ा, जिला कोरबा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	324
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1120
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुभाष चावला
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री गोपाल दास चावला
आवेदक का पता	:–	सलामतराय कीरतराय किराना स्टोर नया सरकण्डा सीपत चौक, बिलासपुर छ0ग0 495001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	327
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1121
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	भूपेन्द्र कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री शिवराम साहू
आवेदक का पता	:–	धरम नगर, पचपेढ़ी नाका सूर्या विहार, गोयल कॉम्पलेक्स के पीछे वाली गली रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	328
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1122
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	दिपेन्द्र कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री राम कुमार साहू
आवेदक का पता	:–	लक्ष्मी हाईट्स के पीछे ढिमरापुर रोड, जगतपुर रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	329
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1123
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	टिकेश्वर कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री आत्माराम
आवेदक का पता	:–	स्टेशन मरोदा, बीआरपी, कालोनी चेचाम पान सेन्टर भिलाई पो + था–नेवई जिला दुर्ग छ0ग0 491107
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	331
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1124
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रदीप कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	श्री पन्नालाल साहू
आवेदक का पता	:–	रूखमणी निवास, कलेक्ट्रेट रोड बीएसएनएल टॉवर के पास, शारदा नगर, रूद्री, ग्रा. + पो. रूद्री, तहसील व जिला धमतरी छ0ग0 493773
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	332
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1125
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	संजय सिंह कंवर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मोहर सिंह कंवर
आवेदक का पता	:–	मु. पो. कराईनारा, व्हाया चांपा, जिला कोरबा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	333
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1126
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नंदकुमारी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री धनीराम
आवेदक का पता	:–	ग्राम कोट (क) पोस्ट मोहतरा, तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ0ग0 493335
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	337
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1127
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	साकेत कुमार यादव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बाबूलाल यादव
आवेदक का पता	:–	स्टेशन तालाबपार वार्ड कं. 03 खरसिया, जिला रायगढ़ छ0ग0 496661
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	338
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1128
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नितिन कुमार कश्यप
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सुरेन्द्र कुमार कश्यप
आवेदक का पता	:–	नितिन कुमार कश्यप, ग्राम व पोस्ट बलौदी, थाना व तहसील पलारी, जिला बलौदाबाजार
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	339
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1129
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	विजय कुमार
पिता/पति का नाम	:–	चोवा राम
आवेदक का पता	:–	क्वार्टर नं. एच–23 (साई मंदिर गली) रूद्री, जिला धमतरी 493776
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	340
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1130
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	उत्तरी ध्रुव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सालिक राम ध्रुव
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट सेजबहार, व्हाया माना कैम्प, थाना सेजबहार, रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	341
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1131
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अनिल कुमार घर्डे
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री चैतराम घर्डे
आवेदक का पता	:–	साधुचाल तुलसीपुर वार्ड नं. 18 राजनांदगांव, छ0ग0 491441
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	342
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1132
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	स्वीटी मेश्राम
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री प्रशांत मेश्राम
आवेदक का पता	:–	मकान नं. 821/2, वार्ड नं.–12 गली नं. 3, बुद्ध कुटी के पास, नया आमा पारा, शंकर नगर, दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	348
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1133
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राजकुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मिलउ राम
आवेदक का पता	:–	राजकुमार (आदिवासी होस्टल के पीछे) डिपरा पारा दुर्ग छ0ग0 वार्ड नं. 39
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	350
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1134
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अमित नंदे
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बालकृष्ण नंदे
आवेदक का पता	:–	धोबी पारा चांदनी चौक के पास रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	353
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1135
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शेख तौसिफ
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री शेख रहीम
आवेदक का पता	:–	समता कालोनी, कुम्हारपारा रोड ताज मस्जिद के पास, जरहाभाठा रोड बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	358
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1136
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अनिल कुमार रजक
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री महेतरू राम
आवेदक का पता	:–	मो. बशीर खां वार्ड, हनुमान मंदिर के पास मुंगेली जिला मुंगेली छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	361
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1137
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शीतल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री विजय कुमार साहू
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट बारगांव , तहसील बेरला, जिला बेमेतरा, छ0ग0 491332
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	362
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1138
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुनिता सेवेन्द्र
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अवध राम सेवेन्द्र
आवेदक का पता	:–	ग्राम बगदई, पो. लिमोरा, तहसील गुरूर, जिला बालोद छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	365
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1139
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	हेमशंकर आर्य
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री पृथ्वी राज आर्य
आवेदक का पता	:–	टिकरापारा बालोद, वार्ड कं. 04, त/पो. बालोद जिला बालोद छ0ग0 491226
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	366
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1140
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुभाष भगत
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बिफना भगत
आवेदक का पता	:–	सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पीछे, बसंत विहार कालोनी जिला जशपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	368
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1141
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	पोपेश्वर पटेल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री करम चंद पटेल
आवेदक का पता	:–	म.नं. 52/1386 दुर्गा मंदिर के पास विनोबा भावे नगर, कुशालपुर रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	369
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1142
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राजेन्द्र कुमार देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री रामकिशोर देवांगन
आवेदक का पता	:–	अशोक विहार, फेस–2 साईस कालेज रोड चौटीडीह, बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	370
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1143
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	लेखन बाई साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सुकदेव राम साहू
आवेदक का पता	:–	ग्राम कोसमी, पो.आ. भीमकन्हार, थाना व तहसील डौण्डी लोहारा, जिला बालोद छ0ग0 491771
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	371
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1144
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	आशीष कुमार सोनी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अनिल कुमार सोनी
आवेदक का पता	:–	सिविल लाईन, जमात मंदिर के पास, कवर्धा छ0ग0 491995
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	373
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1145
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रदीप कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री गणेश राम साहू
आवेदक का पता	:–	म.नं. 37, सांस्कृतिक भवन, गांधी चौक के पास देवपुरी रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	376
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1146
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राम कुमार मोदी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री देवप्रसाद राम मोदी
आवेदक का पता	:–	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जशपुर छ0ग0 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	378
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1147
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 राखी पटेल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री लेखराम पटेल
आवेदक का पता	:–	गणेश किराना स्टोर्स छ0ग0 ग्रामीण बैंक के आगे संतोषी नगर, रायपुर रिंग रोड –01, वार्ड क्र. 53 पिन–492001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	380
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1148
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	पेमेन्द्र सिंह
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री एन. एस. राजपूत
आवेदक का पता	:–	पेमेन्द्र सिंह राजपूत मसाल चौक, न्यू कुर्सी पार भिलाई, 490011, जिला दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	381
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1149
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शेख मंसूर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री शेख जलील
आवेदक का पता	:–	शेख मंसूर जरहाभाटा, ओम नगर, जेपी वर्मा महाविद्यालय के पीछे, बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	384
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1150
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राधेश्याम देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री छोटेलाल देवांगन
आवेदक का पता	:–	दंतेश्वरी मंदिर ब्रम्हदेव कॉलोनी भाटागांव पो. सुन्दर नगर, जिला रायपुर छ0ग0 492013
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	385
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1151
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	जीतेश्वर कश्यप
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री चैतूराम कश्यप
आवेदक का पता	:–	ब्व श्री विनोद कुमार रैदास, जनपद पंचायत गौरेला, जिला बिलासपुर छ0ग0 495117
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	387
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1152
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सविता धीवर
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री मोहन लाल धीवर
आवेदक का पता	:–	हीरा मोती लाईन, वार्ड नं. 38 भवानी आटा चक्की के पास, राजनांदगांव छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	388
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1153
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	आनंद देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री संतोष देवांगन
आवेदक का पता	:–	आनंद देवांगनै ध्व श्री संतोष देवांगन ब्व श्री सोहन लाल देवांगन, कृष्णा नगर, जनक बाई घाट, बनियापारा, जूना बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	389
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1154
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	भूपेन्द्र देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री योगेन्द्र देवांगन
आवेदक का पता	:–	देवांगन मोहल्ला जुना बिलासपुर, वार्ड नं. 30 पम्प गृह कं. 110 के पास बिलासपुर छ.ग.
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	393
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1155
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुधीर देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री नारायण प्रसाद देवांगन
आवेदक का पता	:–	चक्रधर नगर, बंगला पारा रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	394
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1156
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	पवन दीप सिन्हा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री राजू लाल सिन्हा
आवेदक का पता	:–	मोतीपुर, गांधीचौक, वार्ड नं. 03 राजनांदगांव छ0ग0 491441
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	395
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1157
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सूरज कुमार देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री राजकुमार देवांगन
आवेदक का पता	:–	देवांगन मोहल्ला, जूना बिलासपुर, बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	396
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1158
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शांता भगत
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री जगदीश भगत
आवेदक का पता	:–	शांता भगत ब्व श्री भवंर साय पैंकरा, नया जगतपुर ढिमरापुर रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	399
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1159
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मनीष कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री दयाशंकर
आवेदक का पता	:–	एमजी–239, आजाद चौक पुलिस लाईन दीपका कालोनी जिला कोरबा, छ0ग0 495452
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	409
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1160
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 बिन्दा खड़िया
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री करम सिंह
आवेदक का पता	:–	मकान नं. 103 टारपाली, (डिपापारा) पो.आ. बोईरदादर, रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	417
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1161
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	जेया उल्लाह मलिक
पिता/पति का नाम	:–	आ. अहमद उल्लाह मलिक
आवेदक का पता	:–	जेया उल्लाह मलिक ौध्व अहमद उल्लाह मलिक, करबला रोड जशपुर नगर पो. आ. जशपुर नगर, जिला जशपुर छ0ग0 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	418
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1162
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 रेवती सिंह मरावी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री चन्द्रदीप सिंह मरावी
आवेदक का पता	:–	ब्लाक कालोनी घरघोड़ा, वार्ड नं. 02 शासकी अस्पताल के पास, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	419
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1163
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रीति विश्वकर्मा
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री ललित विश्वकर्मा
आवेदक का पता	:–	शिवलाल बाड़ा के पास, नारियल कोठी, दयालबंद बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	420
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1164
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	निहारिका खोब्रागढ़े
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कौशल कुमार खोब्रागढ़े
आवेदक का पता	:–	एमआईजी–78 हाउसिंग बोर्ड कालोनी कमला कालेज रोड राजनांदगांव छ0ग0 491441
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	424
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1165
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गोपी चंद साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामसिंह साहू
आवेदक का पता	:–	नया वार्ड 31, दुर्गा मंदिर के पीछे, खुर्सीपार जोन–03, सेक्टर 11 भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0 490011
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	427
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1166
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रीति बाला ध्रुव
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री सहदेव ध्रुव
आवेदक का पता	:–	नया रावण भाठा (कृष्णा मंदिर के पास) वार्ड नं. 24, कुम्हार पारा महासमुंद छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	430
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1167
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मनीष कुमार ताण्डे
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री लक्ष्मी नारायण ताण्डे
आवेदक का पता	:–	रामभाठा संजय मैदान रोड वार्ड कं. 03 रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	433
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1168
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 वर्षा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अर्जुन सिंह
आवेदक का पता	:–	करैहापारा, रतनपुर तहसील कोटा, जिला बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	438
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1169
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	वीणा वर्मा
पिता/पति का नाम	:–	श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा
आवेदक का पता	:–	न्यू सर्वोदय नगर पचपेड़ी नाका नियर चरण किराना स्टोर्स, रायपुर छ0ग0 492001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	443
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1170
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अभिषेक सिंह
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अशोक सिंह
आवेदक का पता	:–	ग्राम उच्च भट्टी, पोस्ट सेलर, व्हाया रतनपुर, जिला व तहसील बिलासपुर छ0ग0 495442
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	444
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1171
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सावन कुमार सूर्यवंशी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री महेश राम
आवेदक का पता	:–	नैला रेल्वे कालोनी 15/4 जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495668
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	445
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1172
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कमल सिंह कंवर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सुख सिंह
आवेदक का पता	:–	ग्राम भेलवागुड़ी, पोस्ट कराईनारा तहसील करतला व्हाया चांपा जिला कोरबा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	446
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1173
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 वंदना देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री कृष्णा लाल देवांगन
आवेदक का पता	:–	आदर्श नगर, कुशालपुर ब्व रमेश सिंह ठाकुर पार्षद निवास के पास म.नं. अ/48
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	448
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1174
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 स्तुति राज
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री प्रेम सिंह राज
आवेदक का पता	:–	ग्राम लिटियाखार, पो. तिवरता, तहसील पाली जिला कोरबा छ0ग0 495449
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	449
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1175
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	घनश्याम देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री राजाराम देवांगन
आवेदक का पता	:–	जूना बिलासपुर, वार्ड कं. 31, कृष्णा नगर, देवांगन मोहल्ला, बिलासपुर छ0ग0 495001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	450
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1176
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राजीव रंजन वर्मा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अनिल प्रसाद वर्मा
आवेदक का पता	:–	श्री साई नाथ कालोनी स्टार केटरिंग केटर्स, शहनाई पैलेश के पीछे, रायपुर छ0ग0 492001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	452
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1177
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गीता राम साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री परदेशी राम साहू
आवेदक का पता	:–	ब्व संतु साहू, गायत्री चौक, ग्राम बिरोदा, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	453
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1178
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	ब्रजेश सिंह नेताम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री नीलाम्बर सिंह नेताम
आवेदक का पता	:–	पुरानी बस्ती करगीरोड, कोटा, जिला बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	454
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1179
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	आकाश यादव
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री हरिशंकर यादव
आवेदक का पता	:–	आजाद चौक, हनुमान साई मंदिर के सामने, राजू सेलून के बाजू, आमापारा रायपुर छ0ग0 492001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	456
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1180
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	इरशाद खान
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री अरमान खान
आवेदक का पता	:–	इरशाद खान, पत्रकार कॉलोनी गार्डन के पास बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	459
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1181
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	निमेष साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री दाऊलाल साहू
आवेदक का पता	:–	निमेष साहू ौध्व श्री दाऊलाल साहू, एल आई सी कालोनी रोड, प्रगति नगर मोवा रायपुर छ0ग0 492014
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	462
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1182
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	ऋचा नामदेव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री पवन कुमार नामदेव
आवेदक का पता	:–	एन–27, महिला थाना, पुलिस हाउसिंग सोसायटी रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	465
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1183
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	पारसनाथ रात्रे
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री धरमदास रात्रे
आवेदक का पता	:–	ग्राम गाड़ापाली, पोस्ट सरसींवा, तहसील बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार, भाठापारा छ0ग0 493559
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	467
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1184
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गोवर्धन लाल नेताम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री नारायण सिंह नेताम
आवेदक का पता	:–	ग्राम दीवानटोला, पो. भोलापुर, वि.ख. छुरिया, जिला राजनांदगांवय
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	468
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1185
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मनीष कुमार सोनी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अंबिका प्रसाद सोनी
आवेदक का पता	:–	मनीष कुमार सोनी, बड़ा बाजार, मीट मार्केट के पास, मुंगेली, जिला मुंगेली छ0ग0 495334
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	469
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1186
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	भोजराम ध्रुव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रतिराम ध्रुव
आवेदक का पता	:–	नाम भोजराम ध्रुव, ग्राम कैलाशगढ़, पो.आ. धाराशिव थाना लवन (कसडोल) जिला बलौदाबाजार छ0ग0 493526
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	471
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1187
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	भारती गुप्ता
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री डिग्रीलाल गुप्ता
आवेदक का पता	:–	14/1500 प्राची विहार रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	480
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1188
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमति पूनम ठाकुर
पिता/पति का नाम	:–	पति स्व0 श्री गणेश प्रसाद ठाकुर
आवेदक का पता	:–	पूनम ठाकुर/बजरंग चौक पुराना गौरा चौरा के पास गरियाबंद जिला गरियाबंद छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	482
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1189
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नीतू सिंह कर्मा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री देवेन्द्र सिंह कर्मा
आवेदक का पता	:–	म.कं. 59, वार्ड कं. 06, प्रज्ञा इण्येन गैस ऐजेसी के बाजू में, मेन रोड, अंवराभाटा, दन्तेवाड़ा, 494449
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	483
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1190
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अंकुर पाण्डेय
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अनूप पाण्डेय
आवेदक का पता	:–	अंकुर पाण्डेय द्वारा अनुप पाण्डेय, गंगा नगर सेक्टर 02 महादेव विश्वनाथ मंदिर के पास वर्मा आटा चक्की के सामने मंगला रोड बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	484
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1191
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	लेखराज साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री यू.डी. साहू
आवेदक का पता	:–	लेखराज साहू ब्व श्री के.एल. साहू, क्वा. नं. 19,एच आई जी – 2 सेक्टर 1, गार्डन के पास पं. दिनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर छ0ग0 492010
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	489
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1192
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राकेश कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री चन्दु लाल
आवेदक का पता	:–	राकेश कुमार ब्व संतु ठाकुर वार्ड नं. 05 कुम्हार पारा, डोगरगांव जिला राजनांदगांव छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	495
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1193
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुलोचना साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री ठाकुर राम साहू
आवेदक का पता	:–	क्वार्टर नं. आई/99 सिविल लाईन साई मंदिर के सामने कसारीडीह दुर्ग छ0ग0 491001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	498
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1194
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	चन्द्रिका भोई
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री महेश कुमार भोई
आवेदक का पता	:–	ग्राम सिंगारपुर, पोस्ट चटिगिरोला, तहसील सरायपाली, वि.ख. सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 493558
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	504
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1195
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मिथलेस प्रसाद साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री ठाकुर राम साहू
आवेदक का पता	:–	क्वार्टर नं. आई/99 सिविल लाईन साई मंदिर के सामने कसारीडीह दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	506
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1196
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	देवेन्द्र कुमार राठौर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री विनय कुमार राठौर
आवेदक का पता	:–	पुराना कलेक्टोरेट के पीछे वार्ड नं. 17 जांजगीर पिन कोड 495668
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	508
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1197
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राजेन्द्र गिरि गोस्वामी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री लतेल गिरी गोस्वामी
आवेदक का पता	:–	विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. भूपदेवपुर तहसील खरसिया जिला रायगढ़ छ0ग0 496661
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	512
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1198
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गुलाब राम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री जगदेव राम
आवेदक का पता	:–	गुलाब राम ब्व परमेश्वर खाखा नहर रोड, घुटरापारा, अंबिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 497001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	513
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1199
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 रेणुका देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री आजूराम देवांगन
आवेदक का पता	:–	वार्ड नं. 28, मकान नं. 209, पचरी पारा दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	514
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1200
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	दिलीप सिंह ठाकुर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रतन सिंह ठाकुर
आवेदक का पता	:–	श्रीमति बृजबाई, संतोषी मंदिर के पीछे वार्ड कं. 07 नयापारा, महासमुंद छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	517
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1201
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मोहन लाल दीवान
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कृपा राम दीवान
आवेदक का पता	:–	राजिम आमापारा वार्ड 11, हनुमान मंदिर के पास, थाना राजिम, जिला गरियाबंद छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	523
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1202
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रीति उषा खलखो
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री इग्नासियुस खलखो
आवेदक का पता	:–	ग्राम लोढ़ाअम्बा, पो. हर्राडांड़ तहसील कुनकुरी, जिला जशपुर छ0ग0 496225
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	531
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1203
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	विमला खाखा
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री पौल खलखा
आवेदक का पता	:–	केलो विहार कालोनी रायगढ़ प्लाट नं 1800/18 पिन नं. 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	535
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1204
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	चन्दन मिश्रा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बी.एन. मिश्रा
आवेदक का पता	:–	म.नं. 211, सेक्टर 01, रोड नं. 03 शिव आटा चक्की के पास प्रोफेसर कालोनी रायपुर छ0ग0 492001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	536
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1205
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	रूद्र नाथ
पिता/पति का नाम	:–	भोला नाथ
आवेदक का पता	:–	34/3 ई रिसाली सेक्टर भिलाई नगर दुर्ग छ0ग0 490006
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	540
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1206
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नितिन कुमार सोनी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री जगन्नाथ प्रसाद सोनी
आवेदक का पता	:–	नितिन कुमार सोनी, मु.+पो. बिरकोना, तहसील व जिला बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	542
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1207
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	विवेक शर्मा
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री अशोक शर्मा
आवेदक का पता	:–	म.नं. एल आई जी 230, दीनदयाल आवास, ग्राम मंगला जिला बिलासपुर छ0ग0 495001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	543
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1208
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अक्षिता यादव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सुदेश यादव
आवेदक का पता	:–	अक्षिता यादव पिता सुदेश यादव, कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा जिला बलौदा बाजार भाटापारा छ0ग0 493118
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	545
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1209
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुरेश कुमार निर्मलकर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सखा राम निर्मलकर
आवेदक का पता	:–	ग्राम अकलतरी पो. लखराम थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर छ0ग0 495442
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	546
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1210
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शशी धनगर
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री भीखम राम धनगर
आवेदक का पता	:–	मकान नं. 24/549, धनकर निवास, गांधी नगर पडरी रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	550
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1211
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राजेश्वर डाहिरे
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री रामजी डाहिरे
आवेदक का पता	:–	ग्राम नवागांव हटहा, पो.आ. महली तहसील पण्डरिया जिला कबीरधाम छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	551
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1212
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	लच्छनदई कर्मा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सन्तू राम कर्मा
आवेदक का पता	:–	लच्छनदई कर्मा, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस कैम्पस गीदम जिला दंतेवाड़ा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	554
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1213
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कुलेश्वर प्रसाद ध्रुव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री श्याम लाल ध्रुव
आवेदक का पता	:–	सड़क नं. 81 मकान नं. 3/एफ, सेक्टर 6 भिलाई नगर, जिला दुर्ग छ0ग0490006
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	560
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1214
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	विनय सोमावार
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री नंदकुमार सोमावार
आवेदक का पता	:–	नया सरकण्डा, जबडापारा, त्रिवेणी नगर गली नं. 7 बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	561
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1215
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शैलेश कुमार मेश्राम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री जीवन लाल मेश्राम
आवेदक का पता	:–	रविदास नगर, अम्बेडकर चौक वार्ड नग. 03 मोतीपुर, राजनांदगांव छ0ग0 491441
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	562
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1216
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अजीत सिंह कंवर
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री समार सिंह कंवर
आवेदक का पता	:–	ग्राम विजय नगर, (खुश्रूडीह) वार्ड 04 पो.आ. गेवरा प्रोजेक्ट जिला कोरबा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	563
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1217
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	ऊषा साहू
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री रविशंकर साहू
आवेदक का पता	:–	न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी होलीक्रास पेशंन बाड़ा स्कूल के पीछे पानी टंकी के पास क्वार्टर नं. एच–24, ब्लॉक नं. 06 पुलिस लाईन रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	564
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1218
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कमल नारायण चतुर्वेदी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री राम दास चतुर्वेदी
आवेदक का पता	:–	बोरसी हनोदा रोड वार्ड नं. 52 शीतला मंदिर के पास जिला दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	565
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1219
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नोहर कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामशंकर
आवेदक का पता	:–	क्वार्टर नं. 3सी/आई–पाकेट मरोदा सेक्टर भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0 490006
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	567
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1220
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शाहीना खातुन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अब्दुल रशिद
आवेदक का पता	:–	केला बाड़ी नूरी मस्जिद के पास दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	569
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1221
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	तुलसी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री तालन सिंह
आवेदक का पता	:–	ग्राम भदरापारा (सराईडीह) पो. तिलकेजा जिला कोरबा छ0ग0 495674
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	572
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1222
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 दिव्या भूआर्य
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री शिवनंदन कुमार भूआर्य
आवेदक का पता	:–	शिवराम बेल्सर, ब्लॉक नं. 18–बी सड़क नं. 30, सेक्टर 5, भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	575
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1223
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अवन कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री शिव कुमार
आवेदक का पता	:–	120/डी रिमाली सेक्टर भिलाई नगर दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	579
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1224
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	जेतराम निर्मलकर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बेदराम निर्मलकर
आवेदक का पता	:–	विजय नगर (बिंझरा) पो. गेवरा परियोजना, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा छ0ग0 495452
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	583
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1225
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमती पंचाली सिंह
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री संजय कुमार सिंह
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट पतराटोली, तहसील दुलदुला, जिला जशपुर छ0ग0 496334
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	584
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1226
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सिम्मी आदित्य
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री गोपाल प्रसाद आदित्य
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट भटगांव, वार्ड कं. 03 भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	585
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1227
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मंजीत सिंह ठाकुर
पिता/पति का नाम	:–	आ.श्री तेगबहादुर सिंह ठाकुर
आवेदक का पता	:–	मंजीत सिंह ठाकुर ब्व तेगबहादुर सिंह ठाकुर राजपूत भवन, शुक्रवारी बाजार गुढ़ियारी रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	587
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1228
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शेख रिजवान
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री शेख सुल्तान
आवेदक का पता	:–	महामाया गली वार्ड नं. 10 मधुबन पारा रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	588
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1229
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	विद्यानंद भोय
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री भगवानो भोय
आवेदक का पता	:–	मु. व पो. तेतला, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ छ0ग0 496100
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	589
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1230
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मंदाकिनी यादव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामस्वरूप यादव
आवेदक का पता	:–	मंदाकिनी यादव क्ध्व राम स्वरूप यादव, फारेस्ट कालोनी जगदल्ला चांपा जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495671
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	590
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1231
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	इन्द्रजीत ध्रुव
पिता/पति का नाम	:–	मनसुक राम ध्रुव
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट देवपुर तहसील नगरी, जिला धमतरी छ0ग0 493778
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	591
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1232
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	हेतराम कंवर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मैंनेजर सिंह कंवर
आवेदक का पता	:–	ग्राम धनपुर, पोस्ट नगरदा, व्याहा, बाराद्वार तहसील सक्ती, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495687
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	593
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1233
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	उर्वशी सिन्हा
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री हरेकृष्ण सिन्हा
आवेदक का पता	:–	ग्राम सेमरिया पानी टंकी के पास पोस्ट नरदहा छत्तीसगढ़ विधान सभा रोड रायपुर जिला रायपुर छ0ग0 493111
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	596
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1234
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमती पिंकी राजपूत
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कुमार राजपूत
आवेदक का पता	:–	डॉ0 हीरालाल वार्ड दाऊपारा, मुंगेली जिला मुंगेली छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	597
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1235
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मुकेश कुमार सोनी
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री कामता प्रसाद सोनी
आवेदक का पता	:–	मकान नं. 262, वार्ड नं. 05, लक्ष्मीपुर (मीत्तल ट्रेडर्स के पीछे) रायगढ़ जिला रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	598
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1236
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	पूजा कन्नौजे
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामनारायण
आवेदक का पता	:–	खो खो पारा पुरानी बस्ती दुर्गा मंदिर के पास, रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	599
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1237
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	पुखराज कुमार नेताम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री दुकाल सिंह नेताम
आवेदक का पता	:–	ग्राम भुईगांव, थाना व तहसील चारामा, पो.आ. खरथा, जिला कांकेर छ0ग0 494336
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	602
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1238
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमति आदि कुमारी ध्रुव
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री भारत भूषण ध्रुव
आवेदक का पता	:–	ग्राम पलारी, बघेल कालोनी पो.आ. पलारी, थाना पलारी, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ0ग0 493228
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	603
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1239
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अरोहित टोप्पो
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री फेदोर टोप्पो
आवेदक का पता	:–	अरोहित टोप्पो ब्व मनोहर लाल यादव, शंकर दूध डेयरी होली क्रास स्कूल के पास पेंशन बाड़ा रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	605
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1240
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	दीपक कुमार मधुमटके
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अशोक मधुमटके
आवेदक का पता	:–	करबला चौक, रविदास नगर सुदर्शन भवन के पास बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	609
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1241
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कमलेश कुमार यादव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मदन लाल यादव
आवेदक का पता	:–	रामनगर शीतला पारा नेहरू चौक, मनीराम किराना स्टोर के पास, रायपुर छ0ग0 492001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	614
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1242
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	उमेश देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री विधिराम देवांगन
आवेदक का पता	:–	पैलेस रोड, कोष्टा पारा, (उमेश कम्प्यूटर) रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	618
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1243
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अंजनी निर्मलकर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामेश्वर निर्मलकर
आवेदक का पता	:–	शंकर नगर, गौरा चौक वार्ड नं. 10, दुर्ग छ0ग0 491001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	619
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1244
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रमोद कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री संतोष कुमार साहू
आवेदक का पता	:–	सुरेश किराना स्टोर्स के पास, ब्राम्हण पारा, दुर्ग छ0ग0 491001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	622
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1245
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गौरव सिंह
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री वीरेन्द्र सिंह
आवेदक का पता	:–	मिसनेट 46, सेक्टर 01, वरदान हास्पिटल के पास शंकर नगर, रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	624
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1246
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कुमारी दुर्गा यादव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री नरेन्द्र यादव
आवेदक का पता	:–	वार्ड कं. 01 कुटेजा, सारंगढ़ जिला रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	627
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1247
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नीरज कुमार पाण्डेय
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री टंकेश्वर प्रसाद पाण्डेय
आवेदक का पता	:–	मेन रोड रामभांठा, रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	631
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1248
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अनुसुइया ध्रुव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अमृत लाल ध्रुव
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट सिलतरा थाना व तहसील पथरिया, जिला मुंगेली छ0ग0 495335
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	634
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1249
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमति नंद कुमारी सिदार
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री रूप नारायण सिदार
आवेदक का पता	:–	ब्व रूपनारायण सिदारॅध्व नन्दकुमारी सिदार ग्राम व पोस्ट कांटा हरदी, तहसील व जिला रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	638
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1250
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	निशा पटेल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बाबूलाल पटेल
आवेदक का पता	:–	निशा पटेल ॅध्व श्री पद्मन सिंह पटेल, ग्राम व पोस्ट मुरा, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	640
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1251
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुशील कुमार मसराम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बलराम सिंह
आवेदक का पता	:–	ग्राम लिटिया, पो.आ. करजी खुर्द, थाना कोटा, जिला बिलासपुर छ0ग0 495113
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	641
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1252
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमती ईश्वरी जायसवाल
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री नवीन कुमार जायसवाल
आवेदक का पता	:–	क्वार्टर नं. जी–4 सिंचाई कालोनी, सक्ती जिला जांजगीर चांपा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	642
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1253
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मनीषा वर्मा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कृष्ण कुमार वर्मा
आवेदक का पता	:–	दशरथ किराना स्टोर्स के पीछे, इंदिरा नगर हथखोज, भिलाई पो. आई ई भिलाई पिन 490026
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	643
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1254
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	बसंत कुमार पटेल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री करमू पटेल
आवेदक का पता	:–	छान्दनपुर (बसना) पो. बसना, जिला महासमुंद छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	650
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1255
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	चित्ररेखा साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मदन लाल साहू
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट कौंदकेरा, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद छ0ग0 493992
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	651
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1256
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सीमा देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री सुनील कुमार देवांगन
आवेदक का पता	:–	कुम्हार पारा, शांति लॉज मार्ग, जूना बिलासपुर, जिला बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	652
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1257
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	चन्द्रेश कुमार सिंह
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री कमलेश्वर सिंह
आवेदक का पता	:–	मिलन चौक, खजान्ची टोली, पो.आ. रोड टायपिंग सेन्टर के पीछे, जशपुर जिला जशपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	653
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1258
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	लालचंद मेहर
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री मुरलीधर मेहर
आवेदक का पता	:–	जेलपारा, वार्ड नं. 7, परमानंद गली, सारंगढ़ 496445, जिला रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	655
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1259
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमती कोमल सोनी
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री हरिशचंद सोनी
आवेदक का पता	:–	श्रीमती कोमल सोनी ब्व श्री बालचंद सोनी, शिवानंद नगर, सेक्टर 3 पो.आ. डब्ल्यू आर एस कालोनी खमतराई रायपुर छ0ग0 492008
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	657
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1260
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	बलराम दास मानिकपुरी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री परमल दास मानिकपुरी
आवेदक का पता	:–	बलराम दास मानिकपुरी, ग्राम कुरदा, पो. सेन्दरी, व्हाया, सक्ती, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495689
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	658
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1261
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कुलदीप साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामकुमार साहू
आवेदक का पता	:–	कुलदीप साहू पिता श्री राम कुमार साहू, पं. दिनदयाल उपाध्याय वार्ड दाऊपारा, मुंगेली छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	659
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1262
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सम्मार सिंह मरकाम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम
आवेदक का पता	:–	मु.+पो. सुखरीकला, व्हाया चांपा, तहसील कतरला, जिला कोरबा छ0ग0 495671
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	661
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1263
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 ममता बाई
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामसाय राम
आवेदक का पता	:–	पंचवटी महिला वसति गृह कलेक्ट्रेट के पीछे ई.ए.सी. कालोनी जिला पंचायत ऑफिस के बगल में रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	662
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1264
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रियंका ध्रुव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री हीरामन ध्रुव
आवेदक का पता	:–	मिश्रा भवन, जल गृह मार्ग, शहीद भगत सिंह चौक टिकरापारा रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	663
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1265
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुषमा भगत
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री ललित राम भगत
आवेदक का पता	:–	क्वा. नं. एन एफ– 01 पोलिटेक्नीक कालोनी चक्रधर नगर रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	665
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1266
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	रामकुमार आलेन्द्र
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मंगल सिंह आलेन्द्र
आवेदक का पता	:–	ग्राम गैजी, पो. सहगांव तहसील डौण्डी लोहारा,जिला बालोद छ0ग0 491771
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	667
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1267
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	पूनम एनलपवार
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री महेश एनलपवार
आवेदक का पता	:–	ब्व श्रीमती सुधा जलुता, जनता क्वार्टर नं. आर–04, नियर जनता मार्केट दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	673
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1268
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	चन्द्रशेखर रजक
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामकिशोर रजक
आवेदक का पता	:–	दुर्गा नगर वार्ड नं. 04 नीलगीरी के पास लिंगियाडिह बिलासपुर छ0ग0 495006
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	676
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1269
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुरेश कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री गरूड़ सिंह
आवेदक का पता	:–	ग्राम भठोरा, पोस्ट भिलाई बाजार, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	678
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1270
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	विनय कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री श्रीराम
आवेदक का पता	:–	बोरसी पंचशील कालोनी सेक्टर–अ, सड़क नं. 18, प्लाट अ/2, दुर्ग छ0ग0 491001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	681
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1271
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शेख मोहम्मद डल्ला
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री शेख लतीफ डल्ला
आवेदक का पता	:–	डल्ला मंजिल, नेताजी कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा इमाम बाड़ा, जरहा भाटा बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	683
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1272
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सिलीप कुमार पैंकरा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अनत राम पैंकरा
आवेदक का पता	:–	ग्राम गमेकेला, पोस्ट बीरसिघा, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	687
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1273
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	ओम प्रकाश सोनी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री राजकुमार सोनी
आवेदक का पता	:–	मु. + पो. लालपुर, तहसील पेन्ड्रा रोड, जिला बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	688
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1274
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमती सुनीता कंवर
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री रतन सिंह कंवर
आवेदक का पता	:–	ग्राम कुरदा पोस्ट सेन्दरी पुटेकेला, तहसील सक्ती जिला जांजगीर चांपा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	689
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1275
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शैलेन्द्र कुमार बंजारे
पिता/पति का नाम	:–	आ.श्री ए.डी. बंजारे
आवेदक का पता	:–	विवेकानंद कालोनी जशपुर नगर, छ0ग0 496331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	691
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1276
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव
आवेदक का पता	:–	दुर्जा बंद पारा राम मदिर के पास, वार्ड कं. 14 पंडरिया, जिला कबीरधाम छ0ग0 491559
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	692
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1277
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सोमेश्वर यादव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री ईश्वर प्रसाद यादव
आवेदक का पता	:–	बीड़पारा शिवराज गली सारंगढ़ जिला रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	695
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1278
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नीरज भगतानी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री प्रकाश भगतानी
आवेदक का पता	:–	तेलीपारा वचच नंदु गौरेज, आर.के. बुट हाउस कि गली नं. 04, बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	696
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1279
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	रविन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री इतवारी राम
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट सरगी, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	697
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1280
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कमलेश सिंह सिदार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामस्वरूप सिदार
आवेदक का पता	:–	गली नं. 03, बंगाली पारा नया सरकण्डा, बिलासपुर छ0ग0 495001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	700
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1281
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शोएब खान
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सलीम अहमद खान
आवेदक का पता	:–	ताज मेडिकल स्टोर्स वार्ड कं. 01 डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	701
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1282
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	उत्तरा कुमार पटेल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री शिव प्रसाद पटेल
आवेदक का पता	:–	ग्राम निरतू, डिपरापारा पो. घुटकू, थाना कोनी तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	702
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1283
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अंकिता ध्रुव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री एस.आर. ध्रुव
आवेदक का पता	:–	प्लाट नं. 457/04, सड़क नं. 21/बी, आशीष नगर, (प.) रिसाली भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	704
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1284
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	लीना कुमारी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री धनंजय सिन्हा
आवेदक का पता	:–	ग्राम अर्जुनी, पोस्ट देमार, तहसील धमतरी, जिला धमतरी छ0ग0 493773
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	705
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1285
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नीरज सिंह राजपूत
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कृष्ण कुमार राजपूत
आवेदक का पता	:–	लतेल राम साहू बाड़ा, माताचौरा, पुराना सरकण्डा, बिलासपुर छ0ग0 495001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	707
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1286
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	इंदु कुमारी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री गैन्द लाल
आवेदक का पता	:–	ग्राम सोरम, पो. रूद्री, जिला धमतरी छ0ग0 493773
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	710
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1287
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	घनश्याम ध्रुव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कुंवर सिंग ध्रुव
आवेदक का पता	:–	सदर दक्षिण वार्ड, रानी बगीचा, रोड आंगन बाड़ी केन्द्र के पास, धमतरी जिला धमतरी छ0ग0 493773
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	711
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1288
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	घना राम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री डेरहा राम
आवेदक का पता	:–	ग्राम तेलीबांधा, पोस्ट कमरौद, जिला महासमुंद छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	713
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1289
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	रामकरण सलाम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मुन्ना लाल सलाम
आवेदक का पता	:–	ग्राम सुरही, पो. बादल, तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर छ0ग0 494333
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	721
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1290
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	दीपक कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री जोहन लाल
आवेदक का पता	:–	ग्राम बुड़गहन, पोस्ट भटभेरा, तहसील सिमगा, थाना सुहेला, जिला बलौदा बाजार भाटापारा छ0ग0 493195
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	728
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1291
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गोवर्धन मल्होत्रा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री हीराराम मल्होत्रा
आवेदक का पता	:–	ग्राम अण्डोला, पो.आ. दहिदा, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	729
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1292
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	जान्हवी कश्यप
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री डमेश्वर नाथ राम
आवेदक का पता	:–	खजांची टोली, जेल के पीछे जिला जशपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	730
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1293
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अंकिता ध्रुव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री एस.आर. ध्रुव
आवेदक का पता	:–	प्लांट नं. 457/104, सड़क नं. 21/बी, आशीष नगर (पं.) रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	731
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1294
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राहुल सिंह
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बिरन सिंह ठाकुर
आवेदक का पता	:–	टिकरीपारा पडरिया रोड तालाब के पास, तखतपुर जिला बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	736
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1295
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु0 नीलिमा सेन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री संतोष सेन
आवेदक का पता	:–	ग्राम कपसदा, पो व थाना धरसींवा, व्हाया बिरगांव, जिला रायपुर छ0ग0 493221
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	738
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1296
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	संजीव कुमार पटेल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री फकीर चंद पटेल
आवेदक का पता	:–	नावागढ़ी, राजापारा रायगढ़ छ0ग0 तहसील व जिला रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	740
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1297
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मन्जु दास
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री सजल दास
आवेदक का पता	:–	ऐशवर्यम् अपार्टमेंट ब्लॉक–ए, मकान नं. 14, गोवर्धनपुर, बोईरदादर रोड, रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	749
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1298
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मनीष कुमार धीवर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री शिवचरण धीवर
आवेदक का पता	:–	गीतांजली विद्या मंदिर के पास सूर्य नगर, डबरा पारा रायपुर छ0ग0 492011
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	751
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1299
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	ललित कुमार बुनकर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री भगवान दीन बुनकर
आवेदक का पता	:–	मकान नं. 41/2400 केलो विहार, कालोनी कलेक्टोरेट के पीछे रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	752
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1300
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	बलदेव प्रसाद साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अभय राम साहू
आवेदक का पता	:–	ग्राम साल्हे, पोस्ट छिन्द, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ छ0ग0 496445
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	757
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1301
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रकाश सोनी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री राजकुमार सोनी
आवेदक का पता	:–	कलार तालाब रामपुर वार्ड, धमतरी छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	760
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1302
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अर्चना गावड़े
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मोती राम
आवेदक का पता	:–	शहीद चौक, केम्प नं. 01 दल्ली राजहरा जिला बालोद छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	767
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1303
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गायत्री पाण्डेय
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री ओम प्रकाश पाण्डेय
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट चिखलाकसा, मेन रोड, दल्ली राजहरा, जिला बालोद छ0ग0 491228
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	768
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1304
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	रविकुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सुन्दर लाल साहू
आवेदक का पता	:–	मठपुरेना कदम चौक शिव मंदिर के पास रायपुर पो.आ. सुन्दर नगर पिन कोड–492013
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	771
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1305
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अरूण कुमार बघेल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री विजय कुमार बघेल
आवेदक का पता	:–	नगर पंचायत कुसमी, वार्ड क्रं. 11 तहसील कुसमी सामरी, जिला बलरामपुर छ0ग0 497224
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	773
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1306
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	जितेन्द्र कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री जीवन लाल साहू
आवेदक का पता	:–	नया आमा पारा वार्ड नं. 12, मकान 221 दुर्ग छ0ग0 491001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	775
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1307
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	हेमन कश्यप
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री धरम लाल कश्यप
आवेदक का पता	:–	ग्राम बनडभरा, पोस्ट सेमरिया, तहसील चांपा, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495661
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	776
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1308
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	विकास कुमार सोनी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री श्रीराम सोनी
आवेदक का पता	:–	संजय वार्ड (चौरसिया गली) भाटापारा 493118
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	778
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1309
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	चित्रकांत शर्मा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री प्रफुल्ल कुमार शर्मा
आवेदक का पता	:–	तुलसीपुर बख्तावर चाल गली नं. 07 वार्ड नं. 18, लक्ष्य पब्लिक स्कूल के पास राजनांदगांव जिला राजनांदगांव छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	783
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1310
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कृति कश्यप
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री सुरेश कुमार कश्यप
आवेदक का पता	:–	क्वार्टर नं. एच 6 पी.डब्ल्यू डी आफिस कमांक 1 के पीछे बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	785
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1311
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	देवचरण धृतलहरे
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सहसराम धृतलहरे
आवेदक का पता	:–	ग्राम व पोस्ट चपले अस्पताल परिसर चपले तहसील खरसिया जिला रायगढ़ छ0ग0 496661
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	788
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1312
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	विवेक कुमार दुबे
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री विजय कुमार दुबे
आवेदक का पता	:–	तुलसी नगर, गिट्टी खदान के पास सब्जी मार्केट के पास कुशाल पुर रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	789
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1313
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	ईतवार सिंह कंवर
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री फूल सिंह कंवर
आवेदक का पता	:–	ग्राम भेलवागुडी, पोस्ट कराईनारा, तहसील करतला, जिला कोरबा छ0ग0 495671
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	791
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1314
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	विष्णुकांत सोनी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अजय कुमार सोनी
आवेदक का पता	:–	श्याम बाजार कहरा पारा वार्ड क्रं. 09 बलौदा, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	792
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1315
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	कृष्ण कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अशोक कुमार
आवेदक का पता	:–	वार्ड नं. 10 सुभाष चौक पाटन तहसील पाटन जिला दुर्ग छ0ग0 491111
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	796
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1316
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	जय प्रकाश पान्डेय
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अमरनाथ पान्डेय
आवेदक का पता	:–	शिव मंदिर के पास गणेश चौक चिंगराजपारा बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	798
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1317
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	धर्मेन्द्र कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री पुनीराम साहू
आवेदक का पता	:–	बंगाली पारा, नया सरकण्डा, गली नं. 02 के पास कश्यप फोटो कापी सेन्टर बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	800
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1318
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अश्वनी कुमार देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कार्तिक राम देवांगन
आवेदक का पता	:–	ब्व आर.के. गजेन्द्र शिव मंदिर के सामने गिरधारी नगर वार्ड क्रं. 9 दुर्ग छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	801
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1319
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	भूपेन्द्र कुमार उमरिया
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री जनक लाल उमरिया
आवेदक का पता	:–	ग्राम बिजेपार पोस्ट आमगांव, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव छ0ग0 491668
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	804
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1320
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	आकाश राठौर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामखिलावन राठौर
आवेदक का पता	:–	वार्ड नं. 18 आई.बी. रेस्ट हाउस के पास जांजगीर जिला जांजगीर चांपा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	805
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1321
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	हेमन्त कुमार यादव
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बाबूलाल यादव
आवेदक का पता	:–	नागदौने कालोनी व्यापार विहार रोड, बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	806
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1322
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राजेन्द्र कुमार फर्रे
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री धनीराम फर्रे
आवेदक का पता	:–	नैला भाटापारा वार्ड नं. 01 तहसील जांजगीर जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495668
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	808
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1323
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मनीषा शर्मा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री योगेश शर्मा
आवेदक का पता	:–	मुकेश देवांगन हाउस, कुशालपुर तिरंगा चौक, सोनकर बाड़ी रायपुर छ0ग0 492001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	813
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1324
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रिया पटेल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कौशल कुमार पटेल
आवेदक का पता	:–	प्रिया पटेल ब्व कौशल कुमार पटेल, शांति स्मृति सुभाष नगर प्रोफेसर कालोनी सेक्टर 2, रोड नं. 01 रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	814
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1325
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	एस. लोकेश्वरी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री एस.एम. गांधी
आवेदक का पता	:–	एस.एम. गांधी, वध्व एस. लोकेश्वरी, बंगाली कैम्प, वार्ड कं. 04 मकान नं. 70 किरन्दुल, जिला दंतेवाड़ा 494556
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	818
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1326
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	आशीष तिवारी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रामचन्द्र तिवारी
आवेदक का पता	:–	आशीष तिवारी द्वारा एन.के. पटेल (अधिवक्ता) हरिभूमि प्रेस के पीछे टिकरापारा रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	819
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1327
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	राम प्रसाद टोप्पो
पिता/पति का नाम	:–	आ.स्व0 श्री मनियाराम टोप्पो
आवेदक का पता	:–	कबीर चौक नावापारा रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	821
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1328
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	टुन्ना सिंह राठौर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सत्यवान सिंह राठौर
आवेदक का पता	:–	अरवा राईस मिल के पास मिट्ठुमुड़ा, हीरा नगर,रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	827
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1329
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमती पार्वती खैरवार
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री सुरेन्द्र कुमार खैरवार
आवेदक का पता	:–	एसडब्ल्यूसी वेयर हाउस (गोदाम) गढ़चौक पुराना बी.ओ. ऑफिस नागरिक आपूर्ति निगम गढ़चौक सारंगढ़ रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	834
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1330
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	नंदलाल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री शीतल सिंह
आवेदक का पता	:–	मु. ठरकपुर, पो. पटियापाली, तहसील करतला, व्हाया, चांपा जिला कोरबा छ0ग0 495671
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	835
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1331
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमती गायत्री देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री प्रीतम देवांगन
आवेदक का पता	:–	श्रीमती गायत्री देवांगन, नारायण निवास के पास मोती पारा दुर्ग 491001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	838
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1332
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	दीपानजली तिग्गा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री खीस्तोफर तिग्गा
आवेदक का पता	:–	बादल पीटर, नीलाम साइकिल स्टोर अर्जुन चौक राजा तालाब रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	840
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1333
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सत्यानंद रजक
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री परमेश्वर लाल रजक
आवेदक का पता	:–	सत्यानंद रजक ब्व श्रीमति भूमिका निर्मलकर ब्लाक कालोनी क्वार्टन नं. एच. 14/1 जांजगीर चांपा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	841
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1334
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	देवेन्द्र कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री मदन लाल साहू
आवेदक का पता	:–	मठपुरैना बम्लाई चौक, रायपुर छ0ग0 पो.आ. सुन्दर नगर पिन कोड 492013
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	842
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1335
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	जगन्नाथ प्रसाद
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री ननकी राम
आवेदक का पता	:–	मु. पो. रगजा, तहसील सक्ती जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 495689
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	845
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1336
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मोहन मालाकार
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री भुवनेश्वर मालाकार
आवेदक का पता	:–	ग्राम केनसरा, पो. तेतला, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ छ0ग0 496100
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	846
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1337
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	विनित सिदार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सुखीराम सिदार
आवेदक का पता	:–	वार्ड नं. 14, भुज बंधान तालाब के नीचे म.क. 158/1 बजरंग पारा रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	847
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1338
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	जगन्नाथ सोनी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मुकुल लाल सोनी
आवेदक का पता	:–	श्री कुंज कालोनी मकान नं. 161 बिज निगम के सामने बोईरदादर रायगढ़ छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	849
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1339
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	देवब्रत जायसवाल
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री बैसाखू राम जायसवाल
आवेदक का पता	:–	मु.पो. ग्राम कुकुसदा, तहसील पथरिया, जिला मुंगेली, छ0ग0 495335
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	853
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1340
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सौजन्य तिवारी
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री जगदीश तिवारी
आवेदक का पता	:–	गीतांजली विहार नेहरू नगर म.नं. ळट. 29 बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	854
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1341
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मोहम्मद मुख्तार अंसारी
पिता/पति का नाम	:–	आ. मोहम्मद अमीन अंसारी
आवेदक का पता	:–	मोहम्मद मुख्तार अंसारी, क्वार्टर नं. एमआईजी 1/91 महाराणा प्रताप नगर विस्तार जिला कोरबा छ0ग0 495677
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	857
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1342
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अनिता मंहत
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व0 श्री चतुर दास महंत
आवेदक का पता	:–	अनिता महंत ब्व दिलीप महंत, बैकुण्ठपुर बावली कुंआ के पास, वार्ड कं. 16 मकान कं. 605, रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	860
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1343
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	भानु प्रताप वर्मा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मदन मोहन वर्मा
आवेदक का पता	:–	श्री सी.के. वर्मा, बालाजी हॉस्पीटल के पीछे, दुबे कालोनी मोवा पो.आ. सड्डू, जिला रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	861
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1344
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमति पार्श्वि धृतलहरे
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री सोनचंद धृतलहरे
आवेदक का पता	:–	म.क. 475 ग्राम व पोस्ट गुल्लू, थाना आरंग जिला रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	866
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1345
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	भेषज कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री सेवाराम
आवेदक का पता	:–	ग्राम सराईटोला, पो. गट्टासिल्ली, तहसील नगरी जिला धमतरी छ0ग0 493778
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	875
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1346
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	दीपक कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री त्रिलोचन देवांगन
आवेदक का पता	:–	आदर्श नग, कुगदा, पोस्ट उरला, बी.एम.वाय. जिला दुर्ग 490025
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	876
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1347
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	दुष्यंत कुमार कौमार्य
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बिसरू राम
आवेदक का पता	:–	328/बी 1छं ज्लचम पंडर दल्ली, दल्ली राजहरा, तहसील डौण्डी जिला बालोद छ0ग0 491228
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	882
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1348
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	रमेश कुमार बघेल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री घनश्याम सिंह बघेल
आवेदक का पता	:–	पोस्ट आफिस के सामने टाटा लाईन कोहका, भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0 490023
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	886
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1349
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अरूणा एक्का
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री मार्टिन एक्का
आवेदक का पता	:–	नया जगतपुर, ढिमरापुर वार्ड नं. 04 तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	889
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1350
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	निलिमा शोभिता एक्का
पिता/पति का नाम	:–	आ0 स्व0 याकुब एक्का
आवेदक का पता	:–	ग्राम नमना कला (कार्मेल स्कूल के पास) पो.आ. अंबिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	893
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1351
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	रेवती पटेल
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री उसतराम पटेल
आवेदक का पता	:–	ब्व रेशम लाल मालाकार मधुबन मोदीपारा रायगढ़ छ0ग0 496001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	896
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1352
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	धनंजय सिंह मरकाम
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री नारायण सिंह मरकाम
आवेदक का पता	:–	ग्राम लिटियाखार, पो.आ. तिवरता, तहसील पाली, जिला कोरबा, छ0ग0 495449
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	898
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1353
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	शैलेन्द्र कुमार देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री जगतराम देवांगन
आवेदक का पता	:–	पाटणकर कालोनी वार्ड 27, बबला पान ठेला के पास स्टेशन रोड, दुर्ग छ0ग0 491001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	899
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1354
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	लीना टोप्पो
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री सुनील लकड़ा
आवेदक का पता	:–	ब्व श्रीमती अंजेला लकड़ा, लीना टोप्पो, गोरखे टेलर्स के पास, एकता मार्ग, कोटा रायपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	904
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1355
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सचिन बड़ौले
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री कैलाश बडौले
आवेदक का पता	:–	160, नंदलाल नगर, अमनखेड़ी, तहसील व पोस्ट भीकनगांव, जिला सरगौन, म. प्र. 451331
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	905
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1356
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	हिना निर्मलकर
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री पवन निर्मलकर
आवेदक का पता	:–	ज्योति किराना गली 27 खोली विकास नगर मंगला बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	919
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1357
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सरिता ध्रुव
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री कमलेश कुमार ध्रुव
आवेदक का पता	:–	म.नं. 51/1405, प्रोफेसर कालोनी, सेक्टर 3 गली नं. 01, रायपुर छ0ग0 492001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	920
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1358
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	भुवनेश्वर प्रसाद
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री संतोष कुमार
आवेदक का पता	:–	चंद्रशेखर आजाद नगर, देवरी खुर्द बिलासपुर छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	922
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1359
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	करण देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री शिवकुमार देवांगन
आवेदक का पता	:–	कान्हा बर्तन भण्डार, अश्वनी नगर महादेव घाट रोड रायपुर छ0ग0 पो. आ. सुंदर नगर पिनकोड 492013
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	924
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1360
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	गौरीशंकर कुम्हार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री रमेश्वर प्रसाद
आवेदक का पता	:–	रूम नं. 317, जलप्रदाय शारदा नगर, पालिक निगम, कोरबा छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	926
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1361
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	योगेश कुमार बेलचंदन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री दिनेश कुमार बेलचंदन
आवेदक का पता	:–	संजय नगर मौर्या किराना स्टोर्स, वार्ड नं. 04, सुपेला भिलाई, पिन कोड 490023 छ0ग0
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	928
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1362
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	संतोष कुमार देवांगन
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री धरम देवांगन
आवेदक का पता	:–	द्वारा श्री आर.एम.श्रीवास्तव, तालाब रोड, रमजानी बाबा मजार के पास, तालापारा, बिलासपुर, छ.ग. 495001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	930
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1363
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुमित्रा खैरवार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री बेदराम खैरवार
आवेदक का पता	:–	नागरिक आपूर्ति निगम वेयर हाउस गोदाम खेलभांठा पुराना बी ओ आफिस पीडब्ल्युडी आफिस के बगल सारंगढ़, रायगढ़
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	931
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1364
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीकांत शर्मा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री अरूण कुमार शर्मा
आवेदक का पता	:–	गोपीबंद पारा वार्ड 03, पंडरिया जिला कबीरधाम, छ.ग.
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	937
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1365
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	पृथु कुमार कटकवार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री नारायण कटकवार
आवेदक का पता	:–	क्वा.नं. ए–2–12, सिंचाई कालोनी, कोरबा, जिला कोरबा, छ.ग.
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	938
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1366
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	हेमन्त कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री तुकाराम साहू
आवेदक का पता	:–	ग्राम बनिया टोला, प्रो. झिथरा टोला, तह. छुरिया, जिला राजनांदगांव, छ.ग.
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	940
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1367
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	दिनेश कुमार राज
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री चितराम राज
आवेदक का पता	:–	जिला परिवहन कार्यालय,कोरिया, छ.ग. 497335
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	941
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1368
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	रेशमा कुजूर
पिता/पति का नाम	:–	आ. स्व. श्री अगस्तुस कुजूर
आवेदक का पता	:–	श्री बी.एक्करा टाईप चार/6 बीएसएनएल आवासीय कॉलोनी राजकिशोर नगर, बिलासपुर, छ.ग.
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	946
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1369
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	मनीष कुमार घोरे
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री ईश्वर लाल घोरे
आवेदक का पता	:–	श्री ईश्वर लाल घोरे, द्वारा तिवारी लाल घोरे, दयालबंद, नयापारा, बिलासपुर, छ.ग. 495001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.जा.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	947
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1370
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	पंकज कुमार
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री जोहन लाल
आवेदक का पता	:–	गाम चारभाठा, पो. सुरपा, तह. पाटन, जिला दुर्ग, 491223
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	952
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1371
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्रीमती नीलिमा साहू
पिता/पति का नाम	:–	पति श्री नरेन्द्र कुमार साहू
आवेदक का पता	:–	श्याम बाजार शिवाजी चौक, आरंग, जिला रायपुर, छ.ग.
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	अ.पि.व.
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

–:: प्रवेश पत्र ::–

(सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा–2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:–	955
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:–	1372
आवेदित पद का नाम	:–	सहायक ग्रेड–तीन
अभ्यर्थी का नाम	:–	अजीत कुमार सिन्हा
पिता/पति का नाम	:–	आ. श्री जयराम प्रसाद सिन्हा
आवेदक का पता	:–	मरीन ड्राईव स्कूल के बगल में सब्जी बाजार के पास, प्रतापपुर, नाका अंबिकापुर, जिला सरगुजा 497001
वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	:–	सामान्य
परीक्षा तिथि	:–	04/11/2017
समय	:–	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र	:–	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) –496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते है तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।